

न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 47 / 2018

तारीख रजू:- 19.12.2018

पूरण पुत्र चौथीलाल जाति मीना निवासी थूमा उप तहसील कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला
करौली :- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार कुडगॉव जिला करौली

-रेस्पोजेन्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 26.9.2018 न्यायालय नायव तहसीलदार कुडगॉव
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम पूरण मुकदमा नम्बर 112/018 तहत धारा 75 एल.
आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त की ओर से यह अपील वकील अपीलान्त ने पेश कर बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 303/03 रकवा 3 विस्वा ग्राम थूमा तहसील सपोटरा की गैरमुमकिन नाला भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये। पैलन्टी वेदखली एवं सजा से दण्डित किया गया है जबकि इस भूमि पर अपीलान्त द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है पटवारी हल्का के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह झूठी है अपीलान्त किसी प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमी की क्षेणी मे नहीं आता है। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 12.11.2018 को पुलिस का सिपाही के घर आने पर हुयी ततसमय निमानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा मे वाद जानकारी अपील अन्दर म्याद मय दर्जा 5 अधिनियम प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ पेश है। अन्त मे अपील अपीलान्त स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस बकील अपीलान्त व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्त ने बहस करते हुये अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 303/3 रकवा 3 विस्वा गैरमुमकिन नाला ग्राम थूमा तहसील सपोटरा पर कोई अतिक्रमण व कब्जा अपीलान्त का नहीं है। साथ ही इस भूमि पर कभी भी कब्जा व अतिक्रमण भविष्य मे अपीलान्त द्वारा नहीं करना कथन किया है। आज भी मौके पर अपीलान्त का कब्जा व अतिक्रमण नहीं होना एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अन्त मे अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का कथन किया है।


पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्त व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है। कि गण ११११ तहसील सपोटरा पर अपीलान्त द्वारा सम्बत २०१५ खरिफ मे कब्जा व जौत

हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार कुडगॉव तहसील सपौटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 26.9.2018 के तहत अपीलान्ट पूरण पुत्र चौथीलाल जाति मीना निवासी थूमा को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है। और भविष्य मे भी किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा इस आशय का शपथ पत्र नायव तहसीलदार कुडगॉव के न्यायालय मे उपस्थित होकर एक माह मे प्रस्तुत कर देता है। और नायव तहसीलदार कुडगॉव मौका निरीक्षण कर इससे संतुष्ट हो जाते है तो ही सिविल कारावास की सजा क्षम्य (माफ) रहेगी। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार कुडगॉव का निर्णय दिनांक 26.9.2018 यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ति से सम्बन्धित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० 
जिला कलक्टर
करौली